

नए सत्र से बोर्ड द्वारा बताई किताबें ही पढ़ाई जाएंगी, स्कूल अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ न डालें : शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष

■ किताबों के नाम पर निजी स्कूल नहीं ले सकेंगे अब मनमाने दाम

धर्मशाला, 12 फरवरी (ब्यूरो): प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ए शैक्षणिक सत्र से बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी निजी स्कूलों के द्वारा बच्चों से लिए जाने वाले किताबों के दामों को लेकर कड़े कदम उठाने जा रहा है। बोर्ड का मानना है कि पहले भी निजी स्कूलों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि स्कूल केवल स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा बताई गई किताबों से ही बच्चों को पढ़ाएं। बोर्ड का कहना है कि बोर्ड की किताबें कम मूल्य में मिल जाती हैं तथा निजी स्कूलों को अन्य कोई भी किताब स्कूल में

ऐसे चलता खेल

चिन्हित दुकानों पर ही सामान

जिला कुल्लू के कुछ निजी स्कूल प्रबंधन मसगमी करते हुए अपने निराम स्वयं बना रहे हैं। कुछ निजी स्कूलों द्वारा प्रतिवर्ष बच्चों की फीस में बढ़ाई हो जा रही है। साथ ही साथ वर्दी के पैटर्न को भी बदला जा रहा है। यही नहीं नए सत्र में बच्चों की पढ़ाई के लिए खरीदी जाने वाली किताबें स्कूल द्वारा निर्धारित किसी विशेष दुकान से ही खरीदी जाने को मजबूर किया जा रहा है। क्योंकि चिन्हित इन दुकानों के अलावा स्कूलों की वर्धिया, जुने स्पोटर्स वर्दी यहां तक की टाई, बैच व जुने भी किसी अन्य दुकान से नहीं मिल पाते। अभिभावक देवेंद्र कुमार, अशीष, सुमित, नितीश, आकाश, सोम, दीपक, तेजेंद्र का कहना है कि नर्सरी कक्षा की किताबों का सेट जिसमें मात्र अक्षर ज्ञान ही बताया जात 6 हजार रुपए से अधिक कीमत का व तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की किताबें का सेट 9 से 10 हजार रुपए तक का है।

न पढ़ाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा का कहना है कि हर साल इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं तथा

इसे देखते हुए जल्द ही बोर्ड में इन विषयों को लेकर बैठक रखी जाएगी तथा सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को विस्तार से निर्देश जारी किए



..किताबों के रेट में हजारों का अंतर

कुल्लू शहर के एक नामी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि तीसरी कक्षा के बच्चों की किताबों का जो सेट यहां कुल्लू की दुकान में 8000 से 9000 रुपए में मिल रहा है वहीं किताबें कुल्लू जिले से बाहर 2500 से 3000 के बीच में आसानी से मिल रही हैं। वहीं नौवीं व दसवीं कक्षा के बच्चों की किताबों का रेट 15 हजार तक पहुंच रहा है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर अभिभावकों को हजारों का घुना लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि शिक्षा का पूरी तरह से व्यवसायिकरण हो रहा है जिसे रोकने वाला कोई नजर नहीं आता।

जाएंगे कि बच्चों के अभिभावकों पर किताबों आदि को लेकर अतिरिक्त बोझ न डाला जाए।

डा. राजेश ने बताया कि इस

संदर्भ में स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रदेश भर में निजी स्कूलों में औचक निरीक्षण भी करेगा तथा यदि कोई भी स्कूल बोर्ड द्वारा बताई गई किताबों के

स्कूल शिक्षा बोर्ड के नंबर पर और अध्यक्ष को कर सकते हैं शिकायत

स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने बताया कि यदि इस बारे में कोई भी अभिभावक शिकायत करना चाहता है तो वह बोर्ड में फोन (01892-222773) के माध्यम या अध्यक्ष की ई-मेल (hpbosechairman@gmail.com) पर शिकायत कर सकता है। डा. राजेश ने बताया कि उक्त शिकायतकर्ता का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।

अलावा अन्य कोई किताब को पढ़ाता हुआ पाया जाता है तो उक्त स्कूल व शिक्षक के खिलाफ बोर्ड कार्रवाई भी अमल में लाएगा।

निजी की तरह चमकेंगे सरकारी स्कूल

शिक्षा के स्तर में सुधार को सीबीएसई सब-कैडर स्क्रीनिंग टेस्ट साबित होगा बड़ा कदम

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-धर्मशाला



हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन का सपना अब हकीकत बनने की

ओर है। प्रदेश सरकार द्वारा 134 स्कूलों को सीबीएसई में बदलने का निर्णय केवल एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि यह निजी स्कूलों की चमक के आगे फीके पड़ते सरकारी स्कूलों को फिर से खड़ा करने की एक बड़ी व नई कोशिश है। 5,623 पदों पर होने जा रही यह प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया इसी मिशन एक्सीलेंस की पहली सीढ़ी

भाषा पर जोर

प्रदेश शिक्षा विभाग के गणित को देखें तो विभाग का जोर भाषा और आधुनिक विषयों पर स्पष्ट नजर आता है। लेक्चरर श्रेणी में अंग्रेजी के 384 पद और कॉमर्स के 288 पद यह संकेत देते हैं कि सरकार अब सरकारी स्कूलों के छात्रों को उन क्षेत्रों के लिए तैयार करना चाहती है जहां निजी स्कूलों का दबदबा रहा है। जेबीटी के 640 और टीजीटी आर्ट्स के 480 पद नींव को मजबूत करने का काम करेंगे।

मानी जा रही है। आमतौर पर सरकारी विभागों में तबादले या डेपुटेशन वरिष्ठता के आधार पर होते हैं, लेकिन सीबीएसई सब-कैडर के लिए 22 मार्च को होने वाला स्क्रीनिंग टेस्ट एक बड़ा फिल्टर साबित होगा। शिक्षा विभाग के भीतर से ही बेहतरीन प्रतिभाओं को चुनना यह सुनिश्चित करेगा कि इन 134 स्कूलों में केवल वही शिक्षक

जाएं जो सीबीएसई के आधुनिक और प्रतिस्पर्धी माहौल में खुद को ढाल सकें। एक ओर जहां शिक्षकों को सीबीएसई के राष्ट्रीय स्तर के मानकों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा, वहीं स्क्रीनिंग टेस्ट और सर्विस रिकॉर्ड की बारीकी से जांच यह स्पष्ट करती है कि यहां केवल योग्यता ही पासपोर्ट बनेगी। 500 का आवेदन शुल्क और लेट

फीस के कड़े नियमों के साथ बोर्ड ने यह संदेश दे दिया है कि इस भर्ती में केवल गंभीर उम्मीदवार ही शामिल हों।

गुणात्मक शिक्षा पर फोकस

स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा का कहना है कि प्रदेश के छात्रों को गुणात्मक शिक्षा देने की पहल में

शिक्षा बोर्ड प्रमुख कड़ी है। यह पहल राज्य की भावी पीढ़ी के लिए सरकार के विजन को दिखाने वाली है। इससे आने वाले समय में शिक्षा में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा।



राजेश शर्मा

शिक्षा बोर्ड ने डॉ. राधाकृष्णन छात्रवृत्ति के लिए मांगे आवेदन

हिमाचल दस्तक। धर्मशाला। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डॉ. राधाकृष्णन छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रतिभाशाली छात्र को आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न होना पड़े। इस छात्रवृत्ति में चयन केवल मेरिट के आधार पर नहीं, बल्कि परिवार की आय को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। योजना के अनुसार, वे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 1,00,000 रुपये तक हो। मैट्रिक और 12वीं कक्षा के लिए प्रत्येक 14 छात्रवृत्तियां निर्धारित की गई हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन प्रपत्र और दिशा-निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। भरे हुए फॉर्म को विद्यालय के प्रधानाचार्य या संस्थान प्रमुख से सत्यापित कर 11 मार्च 2026 तक संबंधित बोर्ड शाखा में जमा करना अनिवार्य है।

डॉ. राधाकृष्णन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित, 11 मार्च तक करें अप्लाई

धर्मशाला | प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मेधावी जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए डॉ. राधाकृष्णन छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रतिभाशाली छात्र को केवल आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न होना पड़े। बोर्ड के अनुसार, इस योजना में चयन का आधार केवल मेरिट ही नहीं बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी होगी। जिन विद्यार्थियों के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है। डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि इच्छुक और पात्र विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट

www.hpbose.org से आवेदन पत्र व विस्तृत दिशा-निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य से सत्यापित करवाना अनिवार्य होगा। पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र 11 मार्च तक संबंधित बोर्ड शाखा में जमा करवाए जा सकते हैं।

शिक्षा बोर्ड ने छात्रवृत्ति के लिए मांगे आवेदन

धर्मशाला। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के मेधावी व आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए डॉ. राधाकृष्णन



छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

किए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि राज्य का कोई भी प्रतिभाशाली छात्र धन के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे, यही इस योजना का मुख्य ध्येय है। इस छात्रवृत्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चयन का आधार केवल अंक (मेरिट) नहीं, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी होगी। योजना के तहत वे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1,00,000 तक है। बोर्ड मेरिट और आय के संयुक्त मानकों पर खरा उतरने वाले वास्तविक जरूरतमंदों को ही यह सहायता प्रदान करेगा। डॉ. शर्मा के अनुसार, मैट्रिक और जमा दो (2) कक्षाओं के लिए कुल 14-14 छात्रवृत्तियां निर्धारित की गई हैं।

प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने को लेकर एसओपी जारी

सीसीटीवी कैमरे किस तरह से होंगे इंस्टॉल दिए दिशा-निर्देश, नकल करवाने पर होगी सीसीएस नियमों के तहत कार्रवाई

हिमाचल दस्तक ■ शिमला

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर नकल रोकने के लिए लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों को लेकर एसओपी जारी कर दी है। इसके अलावा इस निदेशालय ने परीक्षाओं में विशेष रूप से बोर्ड परीक्षाओं के दौरान, नकल को रोकने और पूरे राज्य में निष्पक्ष, पारदर्शी और कदाचार मुक्त तरीके से परीक्षाओं के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक और प्रभावी उपाय अपनाने की तैयारी कर ली है। जवाबदेही बढ़ाने और निर्धारित मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय शिक्षा के सभी उपनिदेशकों



शिकायतों के पंजीकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

निदेशालय ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं के दौरान अनुचित व्यवहार से संबंधित शिकायतों के तत्काल पंजीकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर 0177-2807680 और 0177-2812484 अधिसूचित किए हैं। परीक्षा संबंधी शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए ये हेल्पलाइन नंबर कार्यालय समय के दौरान चालू रहेंगे। हेल्पलाइन नंबरों और शिकायत निवारण तंत्र का व्यापक, पर्याप्त और प्रभावी प्रचार सभी स्तरों पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि समय पर रिपोर्टिंग और उचित कार्रवाई को सुगम बनाया जा सके।

और संस्थानों के प्रमुखों को जारी एसओपी का पूर्ण तरीके से पालन करने को कहा है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी एसओपी में साफ किया गया है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सभी परीक्षा हॉलों और अन्य निर्धारित परीक्षा हॉलों/कमरों को उचित कोणों से कवर करने वाले पूर्णतः कार्यशील सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। बैंकअप तंत्र सहित सहायक उपकरणों की समय पर मरम्मत, पर्याप्त बिजली बैंकअप और जेनरेटर की व्यवस्था सहित

सीसीटीवी प्रणाली की व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। परीक्षा की पूरी अवधि के दौरान सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निरंतर और निर्बाध निगरानी सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें बोर्ड और निदेशालय के साथ वास्तविक समय डाटा की लाइव स्ट्रीमिंग/साझाकरण की व्यवस्था भी शामिल होगी।

परीक्षा की निगरानी के लिए विद्यालय शिक्षा स्तर पर एक समर्पित केंद्रीकृत निगरानी तंत्र के माध्यम से निगरानी की जाएगी।

सीसीटीवी कैमरों की लाइव निगरानी के लिए निदेशालय के आईटी सेल और गुणवत्ता सेल द्वारा पूर्ण पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। निदेशालय स्तर, उपनिदेशक स्तर और प्रत्येक विद्यालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो सीसीटीवी निगरानी, परीक्षाओं के संचालन और परीक्षाओं के संचालन से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण के संबंध में कड़ी निगरानी, पर्यवेक्षण और समन्वय सुनिश्चित करेगा। यदि किसी विद्यालय या परीक्षा केंद्र पर

परीक्षाओं में नकल को बढ़ावा देने वाली किसी भी गतिविधि का पता चलता है या उसकी सूचना मिलती है या बोर्ड परीक्षाओं सहित परीक्षाओं में सामूहिक नकल का कोई मामला सामने आता है तो हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों पर लागू सीसीएस नियम 1965 के प्रावधानों के तहत प्रधानाचार्य, केंद्र अधीक्षक, उपाधीक्षक, निरीक्षकों और अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ सख्त और त्वरित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

सी.बी.एस.ई. संबद्ध सरकारी स्कूलों में प्रतिनियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग टैस्ट की अधिसूचना जारी

■ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी तय

धर्मशाला, 12 फरवरी (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के 134 सी.बी.एस.ई. संबद्ध सरकारी स्कूलों में सी.बी.एस.ई. सब-कैडर 2026 के तहत विभिन्न श्रेणियों के 5,623 पदों को प्रतिनियुक्ति

(डैपुटेशन) के आधार पर भरने के लिए विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। इन पदों के लिए चयन स्क्रीनिंग टैस्ट के माध्यम से किया जाएगा। इस भर्ती अभियान के माध्यम से शिक्षा विभाग के लगभग हर वर्ग को कवर किया गया है।

कुल 5,623 पदों में प्रिंसीपल के 134 पद शामिल हैं। अंग्रेजी में सर्वाधिक 384 पद, कॉमर्स में 288 और इतिहास, हिंदी व राजनीति शास्त्र में 182-182 पद भरे जाने हैं। इसके अलावा टी.जी.टी. आर्ट्स के 480 पद और जे.बी.टी. के 640 पदों पर

22 मार्च को प्रदेश भर में होगा स्क्रीनिंग टैस्ट

इन पदों पर मैस्ट्रि के आधार पर चयन सुनिश्चित करने के लिए 22 मार्च को स्क्रीनिंग टैस्ट आयोजित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड इस परीक्षा का संवाहन करेगा और परिणाम घोषित कर मैस्ट्रि सूची तैयार करेगा। इसके बाद निदेशालय द्वारा पात्रता की जांच और सर्विस रिकॉर्ड देखने के बाद ही प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।

शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। शारीरिक शिक्षक (डी.पी.ई./पी.ई.टी.), शास्त्री, संगीत और भाषा अध्यापकों के लिए भी बड़ी संख्या में रिक्तियां घोषित की गई हैं। बिना विलंब शुल्क के आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 तय की गई है। यदि कोई उम्मीदवार इस अवधि में चूक जाता है तो वह 25 से 27 फरवरी तक 600

डा. राधाकृष्णन छात्रवृत्ति योजना के तहत बोर्ड ने नंगे आवेदन

धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पिछले साल मार्च में आयोजित 10वीं और जमा दो की नियमित परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले मेधावी एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए डा. राधाकृष्णन छात्रवृत्ति योजना के तहत बुधवार को आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत दोनों कक्षाओं के 14-14 पात्र विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।

बोर्ड सचिव डा. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों को अपने आवेदन पत्र संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य या मुखिया से सत्यापित करवाकर 11 मार्च तक बोर्ड कार्यालय में जमा करवाने होंगे। शिक्षा बोर्ड के अनुसार छात्रवृत्ति का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं है। इस योजना के तहत

रुपए विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भर सकता है। बोर्ड ने उम्मीदवारों को आवेदन में सुधार के लिए 28 फरवरी से पहली मार्च तक का समय भी प्रदान किया है। उधर बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा का कहना है कि यह

90 प्रतिशत छात्रवृत्तियां मैरिट और आय के आधार पर प्रदान की जाएंगी।

इस योजना में सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए सीटें आरक्षित रखी गई हैं। वहीं 10 प्रतिशत छात्रवृत्ति दिव्यांग श्रेणी के उन विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है, जिन्होंने 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलंगता के साथ कम से कम द्वितीय श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा के लिए 2700 रुपये वार्षिक तथा जमा दो कक्षा के लिए 3 हजार रुपये वार्षिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। शिक्षा बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई विद्यार्थी या अभिभावक गलत जानकारी देकर छात्रवृत्ति प्राप्त करता है तो उससे 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ राशि वसूली जाएगी।

भर्ती केवल हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में कार्यरत नियमित इन-सर्विस शिक्षकों के लिए ही है। जो शिक्षक निर्धारित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत योग्यता रखते हैं, वही इस स्क्रीनिंग टैस्ट के पात्र होंगे।